उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

राज्यसात वाद संख्या – 02/2015

राज्य बनाम् रामलोचन प्रसाद एवं डोमन प्रसाद (ज0वि0प्र0 विक्रेता)

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख
21-02-2018	**–:: आदेश ::–** जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ का पत्रांक 566/आ0 एवं 567/आ0 दिनांक 18.08.2015 एवं अनुमण्ड पदाधिकारी, रामगढ़ के 365/आ0 दिनांक 08.08.2015 से आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6(A) अन्तर्गत राज्यसात की कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु प्रस्ताव अनुशंसा के साथ प्राप्त हुआ है। अपना पक्ष रखने हेतु अभ्युक्त रामलोचन प्रसाद एवं डोमन प्रसाद (ज0वि0प्र0वि0) ग्राम चैनपुर पंचायत नवाडीह को सूचना निर्गत किया गया। इस वाद में बनाये गये अभ्युक्त रामलोचन प्रसाद एवं डोमन प्रसाद (ज0वि0प्र0वि0) पिछले कई तिथियों लगातार अनुपस्थि चले आ रहे है, जिससे प्रतित होता है कि खाद्यान्न एवं किरासन तेल कालाबाजारी के आरोप के संबंध में किसी प्रकार का वैद्यानिक साक्ष्य/दस्तावेज अभ्युक्त के पास नहीं है। अभिलेख में संलग्न कागजात, प्राप्त प्रस्ताव, प्रसंगाधीन काण्ड के वादी प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, माण्डू का पत्रांक 185/आ0 दिनांक 31.07.2015 के आधार पर दर्ज थाना काण्ड सं0– 289/2015 दिनांक 30.07.2015 का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ द्वारा प्राप्त अनुशंसा से असहमत होने का काई ठोस आधार नहीं है। अतः जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ एवं अनुमण्डल पदाधिकारी, रामगढ़ से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धारा अन्तर्गत कालाबाजारी हेतु रामलोचन प्रसाद (ज0वि0प्र0वि0) के दुकान से **जप्त 200 ली0 किरासन तेल एवं 16.20 क्वींटल चावल** तथा डोमन प्रसाद (ज0वि0प्र0वि0) के दुकान से **जप्त 805 लीटर किरासन तेल एवं 22.75 क्वींटल चावल को राज्यसात किया जाता है।** आदेश की प्रति आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रामगढ़ को भेजे। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है। अभिलेख अभिलेखागार में जमा करें। लेखापित्र एवं संशोधित 21/2/18 **उपायुक्त,** रामगढ़। 21/2/18 **उपायुक्त,** रामगढ़।	193/वि0 22/3/18